



प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

रबी 2018-19

भारत सरकार और राजस्थान सरकार द्वारा संचालित



किसानों द्वारा प्रीमियम भुगतान
करने की अंतिम तिथि
31-12-2018

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदाओं एवं प्रतिकूल मौसम के प्रभाव के कारण होने वाली संभावित वित्तीय हानि की क्षतिपूर्ति करती है।

जिला: अजमेर

अधिसूचित फसलें: जौ, जीरा, चना, सरसों, तारामीरा, गेहूँ

मुख्य विशेषताएं: किसानों के लिए एक समान प्रीमियम दर। निम्न जोखिमों के कारण फसलों को हुए नुकसान की वित्तीय क्षतिपूर्ति:

बाधित बुवाई और विफल अकुंरण/रोपण, फसल बढ़ोतरी के दौरान प्राकृतिक आपदा, स्थानीय आपदाएं, फसल कटाई उपरांत आपदा, मध्यावधि आपदाएं।

फसल वार प्रीमियम

जिला: अजमेर	जौ	जीरा	चना	सरसों	तारामीरा	गेहूँ
बीमित राशि (रु./हे.)	56,500	68,000	35,000	45,000	20,000	65,000
किसान द्वारा देय प्रीमियम (रु./हे.)	848	3,400	525	675	300	975

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्रकृतिक आपदा, प्रतिकूल मौसम, या असफल बुवाई के कारण होने वाली क्षति, बढ़ोतरी के दौरान फसल की क्षति, स्थानीय आपदाओं के कारण अथवा फसल कटाई के बाद हुई क्षति जैसे जोखिम आच्छादित है।

दावा निपटान : फसलों को आपदाओं से हुई वित्तीय क्षतिपूर्ति।

अनिवार्य : उन सभी किसानों के लिए जिन्होंने उपरोक्त फसलों के लिए ऋण लिया है इस योजना के तहत फसलों का बीमा करना अनिवार्य है।

स्वैच्छिक : अन्य सभी किसान इस योजना के अंतर्गत स्वैच्छिक रूप से प्रतिभाग लेकर योजना का समान्तर लाभ उठा सकते हैं।

प्रीमियम जमा कराँ करें

कृषी कृषक: अपनी कृषि देय बैंक शाखा से संपर्क करें।

गैर-कृषी कृषक: अपने सेवा क्षेत्र के किसी भी राष्ट्रीयकृत, ग्रामीण या सहकारी बैंक की शाखाओं में जमा करें अथवा अपने बैंक की शाखा से या बीमा कंपनी के प्रतिनिधि या स्थानीय जन सेवा केंद्र (सी.एस.सी.) से संपर्क करें।

गैर-ऋणी किसानों के लिए उपरोक्त प्रवाधानों के अतिक्रित, स्थानीय बैंक में बैंक खाता, भुमि स्वमित्व, बटाईदारी या काशतकारी प्रमाणपत्र एवं फसल बुवाई प्रमाणपत्र जमा करना अनिवार्य है।

कृपया ध्यान दें : सभी किसानों के लिए स्थानीय आपदा (जल भराव, ओलावृष्टि, भूस्खलन) अथवा कटाई उपरांत क्षति (बेमौसमी या चक्रवातीय वर्षा) की स्थिति में 72 घंटों के अंदर बीमा कंपनी तक सीधे, बैंक, या क्षेत्रीय कृषि अधिकारी के माध्यम से सूचना पहुंचाना अनिवार्य है। यदि किसान को पहले से तय बोई जाने वाली फसल को बदल कर कोई अन्य फसल बोनी है तो इस आशय की सूचना लिखित रूप में सम्बंधित बैंक एवं बीमा कंपनी को 29 दिसंबर तक देनी अनिवार्य है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए, आधार कार्ड होना अनिवार्य है।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें

टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

कार्यालय संख्या एफ-3, श्रीजी टावर्स, सी-99, पहली मंजिल, सुभाष मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर - 302 001, राजस्थान

टोल फ्री नं. (भार रहित) - 1800-209-3536

अपवर्जन : आयनित विकिरण अथवा आणविक ईंधन के अवशेष से रेडियोधर्मी विकिरण के कारण; रेडियोधर्मी विस्फोट संयोजन या उसके रेडियोधर्मी संघटक के खतरनाक गुणधर्म जैसे रेडियोधर्मिता; विस्फोट इत्यादि के कारण; विशिष्ट भौगोलिक स्थान तथा विशिष्ट समयावधि में अनुमानित सामान्य मौसम में विचलन के कारण हुई हानि के अलावा किसी भी अन्य प्रकार की हानी; पॉलिसी अवधि के दौरान यदि जमीन खेती हेतु उपयोग नहीं हो तब।

इस विवरणिका में दी गई जानकारी विशुद्ध रूप से सांकेतिक है। जोखिम, नियम और शर्तों पर पूरी जानकारी के लिए विवरणिका, उत्पाद संरचना एवं सरकारी अभिसूचना ध्यान से पढ़ें। बीमा आग्रह की विषय - वस्तु है। जोखिम घटकों नियमों एवं शर्तों की अधिक जानकारी के लिए खरीद से पहले कृपया विवरणिका ध्यान से पढ़ें।

टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

पेनिसुला बिजनेस पार्क, टॉवर ए, 15वीं मंजिल, जी.के. मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई-400013. टे.नं. (भार रहित) - 1800-209-3536, Fax: 022-66938170

e-mail : customersupport@tataaig.com ● www.tataaig.com ● IRDA of India Registration No.:108 CIN: U85110MH2000PLC128425

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana UIN: IRDAN108P0001V01201617